(124)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 17/2014–15

मिथिलेश कुमार गुप्ता एवं अन्य ..... आवेदक

बनाम

बिनोद कुमार गुप्ता ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

29/04/2016 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 17/2014–15 मिथिलेश कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम् बिनोद कुमार गुप्ता, मौजा गंगटा, अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के पी0डी0 वाद सं0 162/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2014 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा गंगटा के प्रधान विपक्षी के पिता विश्वनाथ साह थे। उनके विरूद्ध निम्न न्यायालय में प्रधानी पद से बर्खास्तगी हेतु पी0डी0 वाद सं0 162/2008–09 दायर किया गया, किन्तु यह वाद जांच प्रतिवेदन लंबित रहते हुए विपक्षी के पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो जाने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा प्रधान (विपक्षी के पिता) पर लगाये गये आरोप पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध में यह रिविजन वाद दायर किया गया है जो मृत प्रधान के पुत्र के विरूद्ध में है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जब प्रधानी बर्खास्तगी वाद जांच हेतु लंबित है तो उनके उत्तराधिकारी (वंशज) को पक्षकार बनाया जाना चाहिए।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह वाद चलाने योग्य (Maintainable) नहीं है। अतः वाद को निरस्त किया जाय। 16/– रैयतों की ओर से भी लिखित बहस दाखिल कर कहा गया है कि यह वाद विपक्षी को परेशान करने हेतु दायर किया गया है। रैयत विपक्षी के कार्यकलाप से संतुष्ट है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में पारित आदेश एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी विश्वनाथ साह की मृत्यु दिनांक 17.09.2013 को हो जाने के कारण उनके विरूद्ध किसी प्रकार का कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं माना गया है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की गई। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदकों द्वारा निम्न न्यायालय में एक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी मृत प्रधान के स्थान पर उनके वंशजों को प्रतिस्थानी नहीं बनाया गया। तत्पश्चात मृत प्रधान के आरोपों को आधार मानकर उनके पुत्र के विरूद्ध में यह रिविजन वाद दायर किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है। चुँकि पिता पर लगाये गये आरोप को पुत्र पर लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।